

**पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2022 की दीवानी विविध क्षेत्राधिकार संख्या 35**

=====

1. मोसमात चिंतामणि देवी, पति-स्वर्गीय राम नजर तिवारी, निवासी, ग्राम-नगपुरा, थाना- सिमरी, जिला-बक्सर।
2. मिथिलेश तिवारी, पिता-स्वर्गीय राम नजर तिवारी, निवासी, ग्राम-नगपुरा, थाना-सिमरी, जिला-बक्सर।
3. अभिषेक तिवारी, पिता-स्वर्गीय राम नजर तिवारी, निवासी, ग्राम नगपुरा, थाना-सिमरी, जिला-बक्सर।
4. नीतू मिश्रा, पिता-स्वर्गीय राम नजर तिवारी, निवासी, ग्राम-नगपुरा, थाना-सिमरी, जिला-बक्सर।
5. परशुराम तिवारी, पिता-स्वर्गीय ब्रह्मदत्त तिवारी, निवासी, ग्राम-नगपुरा, थाना-सिमरी, जिला-बक्सर।
6. मोसमात गिरिजा तिवारी उर्फ गिरिजा देवी, पति-स्वर्गीय शंकर दयाल तिवारी, निवासी, ग्राम-नगपुरा, थाना-सिमरी, जिला-बक्सर।
7. जय प्रकाश तिवारी, पिता-स्वर्गीय शंकर दयाल तिवारी, निवासी, ग्राम-नगपुरा, थाना-सिमरी, जिला-बक्सर।
8. बासुकीनाथ तिवारी, पिता-स्वर्गीय शंकर दयाल तिवारी, निवासी, ग्राम-नगपुरा, थाना-सिमरी, जिला-बक्सर।
9. मोसमात शांति देवी, पति-स्वर्गीय रामाधार तिवारी, निवासी, ग्राम-नगपुरा, थाना-सिमरी, जिला-बक्सर।

10. शशिकांत तिवारी, पिता-स्वर्गीय रामाधार तिवारी, निवासी, ग्राम-नगपुरा, थाना-सिमरी, जिला-बक्सर।
11. रजनीकांत तिवारी, पिता-स्वर्गीय रामाधार तिवारी, निवासी, ग्राम-नगपुरा, थाना-सिमरी, जिला-बक्सर।
12. शैलेन्द्र कुमार तिवारी उर्फ शैलेन्द्र तिवारी, पिता-स्वर्गीय रामाधार तिवारी, निवासी, ग्राम-नगपुरा, थाना-सिमरी, जिला-बक्सर।
13. सत्य नाना तिवारी, पिता-स्वर्गीय रामाधार तिवारी, निवासी, ग्राम-नगपुरा, थाना-सिमरी, जिला-बक्सर।

... ..याचिकाकर्ता

बनाम

1. ललन चौबे, पिता-स्वर्गीय बिहारी चौबे, निवासी, ग्राम -नागपूर, थाना-सिमरी, जिला-बक्सर।
2. सीता देवी, पति-ललन चौबे, निवासी, ग्राम-नागपूर, थाना-सिमरी, जिला-बक्सर।

... .. उत्तरदाता

=====

उपस्थिति :

याचिकाकर्ताओं के लिए: श्री जे.एस. अरोड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री मनोज कुमार अधिवक्ता

प्रतिवादी/प्रतिवादियों की ओर से: श्री अशोक कुमार पाठक, अधिवक्ता

=====

भारतीय संविधान---अनुच्छेद 227---सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908---आदेश 41 नियम 27---विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त करने के लिए याचिका जिसके तहत याचिकाकर्ता द्वारा पॉवर ऑफ अटॉर्नी को अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में

प्रदर्शित करके अभिलेख पर लाने के अनुरोध को लंबित शीर्षक अपील के पूर्व-सुनवाई चरण में खारिज कर दिया गया ---याचिकाकर्ता की ओर से तर्क कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने पूर्व-सुनवाई चरण में आवेदन का निपटारा करने में गलती की है क्योंकि अतिरिक्त साक्ष्य के लिए दायर याचिका पर केवल अपील की सुनवाई के दौरान ही विचार किया जा सकता है, अलग से नहीं और वह भी तथ्यों की सराहना करते हुए---आगे तर्क दिया गया कि विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय यह समझने में विफल रहा कि विचाराधीन दस्तावेज न केवल पंजीकृत दस्तावेज हैं, बल्कि 30 वर्ष से अधिक पुराना भी है, और इसलिए इसे साबित करने के लिए कोई औपचारिक सबूत आवश्यक नहीं है। प्रतिवादी ने अन्य बातों के साथ-साथ यह कहते हुए जवाब दिया कि याचिका दायर करते समय याचिकाकर्ताओं ने दस्तावेज को इतनी देर से रिकॉर्ड पर लाने के कारणों का उल्लेख नहीं किया है और पावर ऑफ अटॉर्नी के संबंध में कोई दलील नहीं दी गई है।

निर्णय: अपीलीय चरण में अतिरिक्त साक्ष्य लेने की शर्त यह है कि अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की मांग करने वाला पक्ष यह सिद्ध करता है कि समुचित तत्परता बरतने के बावजूद, ऐसा साक्ष्य उसकी जानकारी में नहीं था या समुचित तत्परता बरतने के बाद, उस समय उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था जब अपीलीय डिक्री पारित की गई थी---विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील के निर्णय में दस्तावेज की प्रासंगिकता और यहां तक कि उपयोगिता पर भी चर्चा नहीं की है और इसके बजाय दस्तावेज के गुण-दोष पर विचार किया है तथा इसकी वास्तविकता पर प्रश्न उठाया है---अपीलीय चरण में अतिरिक्त साक्ष्य लेने के लिए आवेदन, भले ही वह अपील के लंबित रहने के दौरान दायर किया गया हो, पर अपील की अंतिम सुनवाई के समय सुनवाई की जानी है और अपील की सुनवाई के अंतिम चरण से पहले उसका निपटारा नहीं किया जा सकता है---विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील के आरंभ में ही याचिका का गलत तरीके से निपटारा कर दिया है---आक्षेपित आदेश को अपास्त

किया जाता है और मामले को नए सिरे से आदेश पारित करने के लिए विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय को वापस भेज दिया जाता है। (पैरा 1, 3, 7, 8, 9, 10)

एआईआर 1957 एससी 363, 2013 (1) पीएलजेआर (एससी) 48, (2015) 1 एससीसी 677पर भरोसा किया गया।

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार झा
सीएवी निर्णय

दिनांक: 25-07-2024

वर्तमान याचिका याचिकाकर्ताओं द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-VII, बक्सर द्वारा शीर्षक अपील संख्या 73/2019 में पारित दिनांक 26.11.2021 के आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (जिसे आगे 'कोड' कहा जाएगा) के आदेश 41 नियम 27 के तहत दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया है।

02. संक्षेप में मामले के तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता विचारण न्यायालय में वादी थे और उन्होंने 2009 का टाइटल सूट सं 12 दायर किया था और इसके खारिज होने के बाद, याचिकाकर्ता 2019 की टाइटल अपील सं 73 में अपीलकर्ता बन गए, जिसमें आरोपित आदेश पारित किया गया है। यह पता चलता है कि भगवती चौबे नामक व्यक्ति ने प्लॉट सं. 654 के पुराने खाता सं. 95 के संबंध में 68.5 दशमलव क्षेत्रफल वाली जमीन और पुराने प्लॉट सं. 951 के 6.5 दशमलव क्षेत्रफल वाली जमीन को 18.06.1986 को याचिकाकर्ताओं/उनके पूर्वजों के पक्ष में 20,000/- रुपये की प्रतिफल राशि पर पंजीकृत विलेख के माध्यम से बेचा था। उक्त भूमि की खरीद से पहले याचिकाकर्ताओं/उनके पूर्वजों ने 31.05.1977 को पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से खाता संख्या

94, प्लॉट संख्या 1334 की 1.5 बीघा भूमि भगवती चौबे से खरीदी थी। उक्त संपत्तियों की खरीद के बाद याचिकाकर्ताओं के पूर्वजों के नाम विधिवत म्यूटेशन किया गया और खरीदारों ने बिहार राज्य को किराए का भुगतान करना शुरू कर दिया, जिसने इसके बदले में रसीदें जारी कीं। आगे यह भी पता चला कि पुनरीक्षण सर्वेक्षण कार्य के दौरान याचिकाकर्ताओं की अनुसूची-II भूमि के संबंध में शिव दहिन चौबे का नाम दर्ज किया गया था, जबकि याचिकाकर्ताओं का स्वामित्व और कब्जा का अधिकार उक्त भूमि पर जारी था। याचिकाकर्ताओं को इस गलत प्रविष्टि के बारे में पता नहीं था, लेकिन उन्हें इसके बारे में तब पता चला जब प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण कब्जे में गलत तरीके से हस्तक्षेप करने की कोशिश की। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने उक्त भूमि के शीर्षक की घोषणा के लिए शिव दहिन चौबे के वंशजों के खिलाफ बक्सर के विद्वान उप-न्यायाधीश-III की अदालत के समक्ष शीर्षक 2009 की वाद संख्या 12 दायर किया। टाइटल अपील के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ताओं को जनवरी, 2019 में पता चला कि भगवती चौबे ने प्लॉट संख्या 651 और 654 की संपत्तियों के संबंध में शिव दहिन चौबे के पक्ष में दिनांक 30.01.1950 को पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित की थी, जो 2009 की टाइटल सूट संख्या 12 में विवादित है। उक्त शिव दहिन चौबे इस पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर अपने प्रिंसिपल के हित में काम करते थे। हालांकि, भगवती चौबे ने जमीन को अपनी पैतृक संपत्ति बताते हुए बेच दिया, जबकि शिव दहिन चौबे के वंशजों ने 15.06.1955 को 1954 की निष्पादन केस संख्या 811 में शिव दहिन चौबे द्वारा अपनी व्यक्तिगत क्षमता में जमीन खरीदने का दावा किया। याचिकाकर्ताओं का आगे का मामला यह है कि 30.01.1950 की पावर ऑफ अटॉर्नी पहली बार जनवरी, 2020 में याचिकाकर्ताओं के ज्ञान और कब्जे में आई और याचिकाकर्ताओं ने महसूस किया कि यह इस बात का निर्णय लेने और साक्ष्य की सराहना करने के लिए एक बहुत ही उपयोगी दस्तावेज हो सकता है कि मुकदमे में जमीन भगवती चौबे की है या शिव दहिन चौबे की। इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ताओं ने संहिता के आदेश XLI नियम 27 के तहत दिनांक 14.02.2020 को याचिका दायर की, ताकि उक्त दस्तावेज को अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित करके अभिलेख पर लाया जा सके।

प्रतिवादी द्वारा एक प्रत्युत्तर दायर किया गया और विद्वान प्रथम अपीलीय अदालत ने अपील की पूर्व-सुनवाई के चरण में याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिका को दिनांक 20.11.2021 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया। इस आदेश को वर्तमान याचिका में चुनौती दी गई है।

03. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जे.एस.अरोड़ा ने दलील दी कि विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश में सुनवाई से पहले आवेदन का निपटारा करने में क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि है, क्योंकि अतिरिक्त साक्ष्य के लिए दायर याचिका पर केवल अपील की सुनवाई के दौरान ही विचार किया जा सकता है, न कि अलग से और वह भी तथ्यों की समीक्षा करके। श्री अरोड़ा ने आगे दलील दी कि याचिकाकर्ताओं के विक्रेता भगवती चौबे असम में रहते थे और अपनी संपत्ति की देखभाल और संपत्तियों की बिक्री-खरीद के लिए उन्होंने प्रतिवादियों के पूर्वज शिव दहिन चौबे के पक्ष में 30.01.1950 की पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित की थी। वाद सम्पत्ति को डुमरांव राज द्वारा 1954 की वाद संख्या 555 में निष्पादन 1954 की वाद संख्या 811 में नीलाम किया गया तथा शिव दहिन चौबे ने भगवती चौबे के मुख्तारनामा धारक के रूप में उक्त सम्पत्ति खरीदी। परन्तु खतियान प्रविष्टि शिव दहिन चौबे के नाम से गलत तरीके से तैयार की गई जबकि यह भगवती चौबे के नाम से होनी चाहिए थी। चूंकि विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष कोई मुख्तारनामा नहीं था, इसलिए विद्वान विचारण न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध आदेश पारित किया। श्री अरोड़ा ने आगे कहा कि काफी प्रयास के बाद भगवती चौबे के भतीजे ने याचिकाकर्ता को वह दस्तावेज दिया जो पक्षों के विवाद में पूर्ण न्याय के लिए आवश्यक है। यदि दस्तावेज अर्थात् मुख्तारनामा को अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में लिया जाए तो उस स्थिति में याचिकाकर्ताओं के पक्ष में निष्पादित विक्रय-पत्र सुसंगत एवं उचित दस्तावेज बन जाएगा।

04. संहिता के आदेश 41 नियम 27 के तहत एक आवेदन से निपटने के बिंदु पर, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने *जी शशिकला बनाम जी कलावती बाई (2019) 15 एससीसी 201* में रिपोर्ट किए गए मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय

ने माना है कि अपील में आदेश 41 नियम 27 के तहत आवेदन को अपीलीय अदालत द्वारा कैसे तय किया जाना चाहिए, यह सवाल अब और नहीं रह गया है और यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तीन मामलों में तय हो गया है, *उत्तर पूर्वी रेलवे प्रशासन बनाम भगवान दास, (2008) 8 एससीसी 511* [पैरा 13-17] में रिपोर्ट किया गया, *शालीमार केमिकल वर्क्स लिमिटेड बनाम सुरेंद्र ऑयल एंड दाल मिल्स, (2010) 8 एससीसी 423* [पैरा-16] और *मद्रास कॉर्पोरेशन एंड अन्य। बनाम एम. पार्थसारथी एवं अन्य, (2018) 9 एससीसी 445* [पैरा 11-15] में रिपोर्ट किया गया। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अत्यधिक यांत्रिक तरीके से और अतिरिक्त साक्ष्य पर विचार करने के सिद्धांतों के विरुद्ध आक्षेपित आदेश पारित किया। विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने दस्तावेज की वास्तविकता और साक्ष्य मूल्य का आकलन किया, जबकि अभिलेख पर लाए जाने वाले दस्तावेज की वास्तविकता और साक्ष्य मूल्य पर टिप्पणी करना आवश्यक नहीं था। विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उक्त याचिका को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों द्वारा निर्धारित सिद्धांतों की कसौटी पर परखा नहीं। श्री अरोड़ा ने *वादी बनाम अमीलाल एवं अन्य ने (2015) 1 एससीसी 677* में रिपोर्ट किए गए के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का भी उल्लेख किया। जिसमें यह देखा गया है कि उपनियम (1) में शामिल सामान्य सिद्धांत यह है कि अपील के पक्षकार किसी मामले में कमी को दूर करने या अंतर को भरने के लिए अपीलीय अदालत में अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने के हकदार नहीं हैं। अपवाद खंड (क), (कक) और (ख) में हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा है कि खंड 1(ख) कहता है कि यदि अपीलीय अदालत को निर्णय सुनाने के लिए किसी दस्तावेज को पेश करने या किसी गवाह की जांच करने की आवश्यकता होती है, तो वह ऐसे दस्तावेज को पेश करने या गवाह की जांच करने की अनुमति दे सकता है। अपीलीय अदालत की आवश्यकता या जरूरत यह ध्यान में रखने की है कि न्याय का हित सर्वोपरि है। श्री अरोड़ा ने आगे *जे बालाजी सिंह बनाम दिवाकर कोल एवं अन्य, (2017) 14 एससीसी 207* में रिपोर्ट किए गए के मामले माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया। जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रथम

अपीलीय न्यायालय के आदेश की सत्यता को बरकरार रखा है, जिसमें मामले को विद्वान ट्रायल कोर्ट को वापस भेजा गया था, जब उसने पाया कि मुकदमे के उचित निर्णय के लिए अतिरिक्त साक्ष्य महत्वपूर्ण और आवश्यक थे और यह भी कारण बताया कि ट्रायल के दौरान इसे क्यों दायर नहीं किया जा सका। श्री अरोड़ा ने *राजस्थान राज्य बनाम टी.एन. साहनी एवं अन्य, (2001) 10 एससीसी 619* में रिपोर्ट किए गए मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया है कि आदेश 41 नियम 27 के तहत आवेदन पर अपील के साथ निर्णय लिया जाना चाहिए था। यदि न्यायालय ने अपील में निर्णय को अधिक संतोषजनक तरीके से सुनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज पाए होते, तो उसने इसे अनुमति दे दी होती; यदि नहीं, तो इसे उसी चरण में खारिज कर दिया गया होता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि अपील की सुनवाई से पहले आवेदन पर विचार करना अनुचित होगा।

05. श्री अरोड़ा ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के *जगदीश प्रसाद पटेल एवं अन्य बनाम शिवनाथ एवं अन्य (2019) 6 एससीसी 82* में रिपोर्ट किए गए मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया, जिसकी रिपोर्ट में दी गई है, जिसमें पैराग्राफ-29 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कानून का सारांश इस प्रकार दिया है:-

“29. सीपीसी के आदेश 41 नियम 27 के तहत, अतिरिक्त साक्ष्य का उत्पादन, चाहे मौखिक हो या दस्तावेजी, केवल तीन परिस्थितियों में ही अनुमत है:

(I) जहां विचारण न्यायालय ने साक्ष्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, हालांकि उसे स्वीकार किया जाना चाहिए था;

(II) साक्ष्य उचित परिश्रम के बावजूद पक्ष को उपलब्ध नहीं था; और

(III) अपीलीय न्यायालय को अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता थी ताकि वह निर्णय सुना सके या इसी तरह की प्रकृति के किसी अन्य महत्वपूर्ण कारण से।

यदि अपीलकर्ता विचारण न्यायालय में प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करने में मेहनती नहीं था, तो अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए आवेदन की अनुमति नहीं दी जा सकती। हालांकि, न्याय के हित में और जब संतोषजनक कारण दिए जाते हैं, तो अदालत अतिरिक्त दस्तावेज प्राप्त कर सकती है।”

जगदीश प्रसाद पटेल (सुप्रा) के मामले में उपरोक्त निर्णय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी माना है कि यहां तक कि दस्तावेज भी विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए थे और न ही दलीलों में उन दस्तावेजों का संदर्भ था, यदि उक्त दस्तावेज का मुकदमे में मुख्य मुद्दे से सीधा संबंध है, तो उसे अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।

06. श्री अरोड़ा ने आगे कहा कि **संजय कुमार सिंह बनाम झारखंड राज्य** मामले में, (2022) 7 एससीसी 247 में रिपोर्ट किए गए मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि अपवाद के रूप में, आदेश 41 नियम 27 सीपीसी अपीलीय अदालत को असाधारण परिस्थितियों में अतिरिक्त साक्ष्य लेने में सक्षम बनाता है। अपीलीय अदालत अतिरिक्त साक्ष्य की अनुमति दे सकती है यदि इस नियम में निर्धारित शर्तें मौजूद पाई जाती हैं और पक्षकार ऐसे साक्ष्य को स्वीकार करने के अधिकार के रूप में हकदार नहीं हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि, हालांकि, जहां पेश किए जाने वाले अतिरिक्त साक्ष्य मामले पर संदेह के बादल को हटाते हैं और साक्ष्य का मुकदमे में मुख्य मुद्दे पर सीधा और महत्वपूर्ण असर होता है और न्याय का हित स्पष्ट रूप से यह अनिवार्य बनाता है कि इसे अभिलेख पर अनुमति दी जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे दोहराया कि अतिरिक्त साक्ष्य की स्वीकार्यता इस मुद्दे की प्रासंगिकता या इस तथ्य पर निर्भर नहीं करती है कि आवेदक के पास पहले चरण में ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर था या नहीं, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि अपीलीय न्यायालय को निर्णय सुनाने के लिए या किसी अन्य महत्वपूर्ण कारण के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य की आवश्यकता है या नहीं। यह भी कहा गया है कि इसलिए, वास्तविक परीक्षण यह है कि क्या अपीलीय न्यायालय प्रस्तुत किए जाने वाले अतिरिक्त साक्ष्य पर विचार किए बिना अपने

समक्ष प्रस्तुत सामग्री पर निर्णय सुनाने में सक्षम है।

07. श्री अरोड़ा ने आगे कहा कि विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों द्वारा निर्धारित सिद्धांतों की पूरी तरह से अनदेखी की है। श्री अरोड़ा ने आगे कहा कि हालांकि याचिकाकर्ता ने उन परिस्थितियों के बारे में बताया है जिनके तहत पावर ऑफ अटॉर्नी के निष्पादन के बारे में तथ्य जनवरी, 2020 में उनके संज्ञान में आए, याचिकाकर्ताओं के लिए वर्ष 2009 में शिकायत में उक्त तथ्य की दलील देने का कोई अवसर नहीं था। इसके अलावा, सबूतों की दलील देने की आवश्यकता नहीं है और दलीलों में केवल तथ्य ही रखने होते हैं। श्री अरोड़ा ने आगे कहा कि विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य की सराहना न करके अधिकार क्षेत्र की और त्रुटि की है कि अभिलेख पर लाए जाने वाले अतिरिक्त साक्ष्य एक प्रासंगिक साक्ष्य हो सकते हैं जो पक्षों के बीच विवाद को तय करने के लिए न्याय निर्णय प्रक्रिया में मदद कर सकते हैं और इस कारण से दलील में सबूतों की अनुपस्थिति अतिरिक्त सबूत अभिलेख पर लाने की प्रार्थना को खारिज करने का आधार नहीं है। विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने बहुत ही सहज तरीके से माना कि अभिलेख पर लाए जाने वाले अतिरिक्त साक्ष्य जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज हैं और याचिकाकर्ता अपने पक्ष में फैसले को हड़पना चाहते हैं। विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय यह समझने में विफल रहा कि यह दस्तावेज पक्षों के बीच मुद्दों को तय करने के लिए साक्ष्य का एक टुकड़ा था और उक्त दस्तावेज को अभिलेख पर रखा जाना चाहिए। श्री अरोड़ा ने आगे कहा कि विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय यह समझने में विफल रहा कि विचाराधीन दस्तावेज न केवल एक पंजीकृत दस्तावेज है बल्कि 30 साल से भी अधिक पुराना है और इसलिए इसे साबित करने के लिए कोई औपचारिक सबूत आवश्यक नहीं है। किसी भी पक्ष से दस्तावेज की वास्तविकता को कोई चुनौती नहीं दी गई है। श्री अरोड़ा ने आगे कहा कि पावर ऑफ अटॉर्नी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है और अदालत को न्यायसंगत निष्कर्ष पर पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए इसे अभिलेख पर लाने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके अलावा, कोई औपचारिक सबूत की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि यह 30 साल पुराना दस्तावेज है। इस प्रकार,

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि आरोपित आदेश टिकने योग्य नहीं है और इसे रद्द किया जाना चाहिए तथा याचिकाकर्ताओं की याचिका को अतिरिक्त साक्ष्य अभिलेख पर लाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

08. प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि आरोपित आदेश में कोई कमी नहीं है तथा इसे कायम रखा जाना चाहिए। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि याचिका प्रस्तुत करते समय याचिकाकर्ताओं ने दस्तावेज को इतनी देरी से अभिलेख पर लाने के कारणों का उल्लेख नहीं किया है। बेशक, पावर ऑफ अटॉर्नी के संबंध में कोई दलील नहीं है। अपनी दलीलों में याचिकाकर्ताओं ने केवल प्रतिवादियों के पूर्वज के पक्ष में सर्वेक्षण प्रविष्टि का उल्लेख किया है तथा उन्होंने नीलामी कार्यवाही के बारे में कभी उल्लेख नहीं किया है। शीर्षक वाद वर्ष 2009 में दायर किया गया था तथा 11 वर्षों के पश्चात, अपनी दलीलों के विरुद्ध याचिकाकर्ताओं ने दस्तावेज को अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में लेने के लिए प्रार्थना के साथ दायर किया है। कोई उचित परिश्रम नहीं किया गया है और याचिकाकर्ता ने नीलामी कार्यवाही के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसे 1954 की केस सं. 555 में अंतिम रूप दिया गया था। पावर ऑफ अटॉर्नी शिव दहिन चौबे द्वारा नीलामी खरीद के तथ्यों को रद्द नहीं कर सकती है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है। विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रतिवादियों के दाता द्वारा नीलामी खरीद के बारे में अपना निष्कर्ष दर्ज किया। विद्वान वकील ने इस बिंदु पर विद्वान वरिष्ठ वकील के तर्क का भी विरोध किया कि संशोधन के लिए आवेदन को अपील की सुनवाई के समय निपटाया जाना चाहिए था, यह प्रस्तुत करते हुए कि याचिकाकर्ता ने विद्वान प्रथम अपीलीय अदालत के समक्ष ऐसी कोई प्रार्थना नहीं की। विद्वान वकील ने दोहराया कि वर्तमान याचिका में कोई योग्यता नहीं है और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।

09. मैंने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में पक्षों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर गहन विचार किया है। अपीलीय चरण में पावर ऑफ अटॉर्नी पेश करने को हमेशा सावधानी से देखा जाएगा। लेकिन, यदि यह एक पंजीकृत दस्तावेज है, तो इसके निष्पादन की वास्तविकता की धारणा

है। हालांकि, यह संबंधित न्यायालय को देखना है कि क्या दस्तावेज उसे निर्णय सुनाने के लिए आवश्यक है या किसी अन्य महत्वपूर्ण कारण से। अपीलीय चरण में अतिरिक्त साक्ष्य लेने के लिए एक और शर्त यह है कि अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की मांग करने वाला पक्ष यह स्थापित करता है कि उचित परिश्रम के बावजूद, ऐसा साक्ष्य उसके ज्ञान में नहीं था या उचित परिश्रम के बाद, उस समय उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था जब अपील की गई डिक्री पारित की गई थी। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि वर्ष 2020 में ही उन्हें उक्त दस्तावेज के बारे में पता चला और इस कारण से, शिकायत में पहले कोई दलील शामिल नहीं की गई थी। तर्क उचित प्रतीत होता है, यदि याचिकाकर्ताओं को दस्तावेज के बारे में जानकारी थी, तो शिकायत में इसका उल्लेख करके और परीक्षण के दौरान पहले दस्तावेज पेश करके इसे पेश न करने का कोई कारण नहीं था। आरोपित आदेश के अवलोकन से, मुझे यह भी पता चलता है कि विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील के निर्णय में दस्तावेज की प्रासंगिकता और यहां तक कि उपयोगिता पर भी चर्चा नहीं की है। ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने दस्तावेज के गुण-दोषों में प्रवेश किया और निर्णय प्राप्त करने के लिए गढ़े गए या झूठे दस्तावेज की संभावना पर इसकी वास्तविकता पर सवाल उठाया। इस तरह की टिप्पणी निश्चित रूप से अनावश्यक है और इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता।

10. अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के संबंध में कानून माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों द्वारा स्पष्ट किया गया है और कुछ निर्णयों को याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा उद्धृत किया गया है। **वादी बनाम अमीलाल एवं अन्य** (सुप्रा) के निर्णयों पर भरोसा करते हुए, यह स्पष्ट है कि संहिता के आदेश 41 नियम 27 (1) (एए) की शर्त के अलावा, आदेश 41 नियम 27 1(बी) में प्रावधान है कि अपीलीय न्यायालय को यह निष्कर्ष देना होगा कि उसे निर्णय सुनाने के लिए या किसी अन्य महत्वपूर्ण कारण के लिए दस्तावेज की आवश्यकता है या नहीं। लेकिन, ऐसी आवश्यकता अपील के अंतिम चरण में बताई जा सकती है, न कि सुनवाई से पहले। **पीरगोंडा होंगोंडा पाटिल बनाम कलगोंडा शिदगोंडा पाटिल एवं अन्य** के मामले में, **एआईआर 1957 एससी 363**

में रिपोर्ट की गई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि सभी संशोधनों को अनुमति दी जानी चाहिए जो दो शर्तों को पूरा करते हैं (ए) दूसरे पक्ष के साथ अन्याय नहीं करना, और (बी) पक्षों के बीच विवाद में वास्तविक प्रश्नों को निर्धारित करने के उद्देश्य से आवश्यक होना।

इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **भारत संघ बनाम इब्राहिम उद्दीन एवं अन्य** के मामले में, 2013 में रिपोर्ट किया (1) पीएलजेआर (एससी) 48 ने माना है कि अपीलीय चरण में अतिरिक्त साक्ष्य लेने के लिए आवेदन, भले ही अपील के लंबित रहने के दौरान दायर किया गया हो, अपील की अंतिम सुनवाई के समय सुना जाना चाहिए और अपील की अंतिम सुनवाई से पहले इसका निपटारा नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, वर्तमान मामले में, विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील की शुरुआत में ही याचिका का निपटारा कर दिया है।

11. उपर्युक्त चर्चा के आलोक में, आरोपित आदेश कायम नहीं रखा जा सका। अतः, 2019 की शीर्षक अपील संख्या 73 में पारित दिनांक 26.11.2021 के आदेश को अपास्त किया जाता है तथा मामले को विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय को वापस भेजा जाता है ताकि वह **भारत संघ बनाम इब्राहिम उद्दीन एवं अन्य** (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के आलोक में याचिकाकर्ताओं की दिनांक 14.02.2020 की याचिका पर नए सिरे से आदेश पारित कर सके।

12. परिणामस्वरूप, वर्तमान याचिका स्वीकृत की जाती है।

(अरुण कुमार झा, न्यायमूर्ति)

आशीष/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।